3/यो0स०क०-35/2022 107

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -14.8.2025

विषय:- **वितीय वर्ष 2025-26 में समेकित बाल विकास छत्र योजना अन्तर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (मातृत्व लाभ योजना-सामर्थ्य) के तहत केन्द्रांश मद में रू० 3772.00 लाख तथा राज्यांश मद में रू० 9953.00 लाख अर्थात कुल रू० 13725.00 लाख (एक सौ सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वितीय वर्ष 2025-26 में मिशन शक्ति (सामर्थ्य) योजना अन्तर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (मातृत्व लाभ योजना-सामर्थ्य) के संचालनार्थ कुल रू० 17375.20 लाख की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 -42 दिनांक-24.04.2025 के द्वारा प्रदान की गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त **केन्द्रांश मद में रू० 3772.00 लाख तथा राज्यांश मद में रू० 9953.00 लाख अर्थात कुल रू० 13725.00 लाख (एक सौ सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख)** मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1.	मातृत्व लाभ योजना (सामर्थ्य)– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (केन्द्रांश)	60:40	3980 (BR186)	**51-2235021030225**	**0225.31.04, 31.05, 31.06**	16375.18	**3772.00**
2.	मातृत्व लाभ योजना (सामर्थ्य)– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (राज्यांश)			**51-2235021030325**	**0325.31.04, 31.05, 31.06**	1000.02	**9953.00**
***कुल :-* (रू. एक सौ सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख)**						17375.20	**13725.00**

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक – 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक 28.03.2025, 235/वि0 दिनांक 01.04.2025, पत्रांक-600/वि. दिनांक-06.08.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-35/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-**18/टि0** पर दिनांक-**08.08.2025** को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-35/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-**19/टि0** पर दिनांक-**13.08.2025** को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

13/8/25

(योगेश कुमार सागर)

संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-35/2022 107 /....................../दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/8/25

संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-35/2022 107 /....................../दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/8/25

संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-35/2022 107 /....................../दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/8/25

संयुक्त सचिव,